

कार्यालय, नगर पंचायत जनकपुर रोड

दिनांक

पत्रांक

प्रेषक:- कार्यालय सहायिका
नगर पंचायत जनकपुर रोड

सेवा में:
दशमी लोक प्रीमियर, निगर
(दशमी लोक प्रीमियर कार्यालय)
प्रधान मन्त्री कार्यालय (लोक प्रीमियर)

विषय:- दशमी लोक प्रीमियर, निगर पत्र के अंग्रेजि नगर पंचायत
जनकपुर रोड के दशमी लोक प्रीमियर संख्या 712/2009-10 के अनुपात
प्रतिवेदन के संबंध में

संगत, उपरोक्त विषय इस कार्यालय के खाते 236 दिनांक 22.10.10 के
अंग्रेजि संख्या LASA 2336 दिनांक 26.3.10 से अंग्रेजि प्रतिवेदन
संख्या 712/2009-10 में दशमी लोक प्रीमियर के खाते में नगर पंचायत
के दिनांक 22.6.10 की तैल के प्रस्ताव संख्या 10 के अंग्रेजि दिनांक
जमा खाते संख्या प्रतिवेदन में दशमी लोक प्रीमियर का निराकरण एवं
सामंजस करने इस विषय करने हेतु कार्यालय सहायिका को अंग्रेजि
दिनांक 22.6.10

अतः उपरोक्त अंग्रेजि प्रतिवेदन संख्या 712/2009-10 में
दशमी लोक प्रीमियर का कार्यालय सहायिका का कार्यालय अनुपात
प्रतिवेदन अंग्रेजि नगर पंचायत के खाते के दिनांक 26.3.10 की तैल के
कार्यालय प्रस्ताव संख्या 10 की अंग्रेजि खाते हेतु इस पत्र के साथ
सामंजस करे होजी जा रही है।

निदेशात्मक आज्ञा

हो।

कार्यालय सहायिका
नगर पंचायत जनकपुर रोड

- 1. अंग्रेजि प्रतिवेदन संख्या 712/2009-10 के
अनुपात संख्या के अंग्रेजि पत्र की कार्यालय
- 2. नगर पंचायत जनकपुर रोड के खाते के दिनांक
22.6.10 की तैल के अंग्रेजि संख्या 10 की कार्यालय

शाखांक 332 दिनांक 09.09.14

प्रतिलिपि उपसचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहा (पटना)
को सूचना एवं आवश्यक कार्यालय अंग्रेजि

24/9/14
कार्यालय सहायिका
नगर पंचायत जनकपुर रोड
24/9/14

10/9/14

24/9/14

नगरपंचायत जनकपुर रोड के बोर्ड के दिनांक 22.6.2010 की बैठक के प्रस्ताव संख्या-10 की प्रतिलिपि :

प्रस्ताव संख्या-10

स्थानीय लेखापरीक्षा विहार पत्रा के पत्रांक - L A sur/2396 दिनांक 26.3.2010 के द्वारा प्रेषित नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-712/2009-10 का अवलोकन किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गई पायओ पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि आपत्तियों का कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निराकरण हेतु कार्यवाही की जाय एवं पाराब्राइज अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखापरीक्षा विहार पत्रा एवं नगर विकास विभाग विहार पत्रा को भेज दिया जाय। इसके लिये कार्यपालक-पदाधिकारी अधिकृत किये गये

22.6.10
31.6.10
नगर पंचायत जनकपुर रोड

कार्यालय, नगर पंचायत जनकपुर-३

दिनांक 10.6.2010

सेवा में
कार्यालयक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर-३

सेवा में,
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)
पंचायत महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
पटना, पटना।

विषय - स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा नगर पंचायत जनकपुर-३ के
अंकीकरण प्रतिवेदन संख्या 2/2006-07 के अनुपालन प्रतिवेदन
के अनुपालन में।

महोदय,
अभ्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया है कि अवदीय
पत्रांक 1 में संख्या 27 दिनांक 27.6.06 के द्वारा प्राप्त अंकीकरण प्रतिवेदन
संख्या 2/2006-07 के सन्दर्भ में दर्शायी गई आपत्तियों के निराकरण
के लिए अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 34 दि. 25.1.07
के साथ संलग्न कर भेजा गया था जिसके क्रम में अवदीय कार्यालय
के पत्रांक 1 में संख्या 1380/212 दिनांक 18.10.07 (द्वारा प्रेषित संलग्न)
के द्वारा नगर पंचायत जनकपुर-३ के अनिश्चित पत्रांकों का अनुपालन
पत्रांक नगर पंचायत लेखा समिति के दिनांक 30.10.09 की संख्या 65 के
परिपालन में नगर पंचायत में निर्णय के आधारेक में अनुपालन
प्रतिवेदन नगरपालिका कार्यालय भेजा जा रहा है।
अनुलग्नक -

1. अंकीकरण प्रतिवेदन सं. 2/2006-07
का अनुपालन प्रतिवेदन - 1 पत्रे
2. नगरपालिका लेखा समिति की बैठक
की कार्यवाही की क्षमापत्रि - 1 पत्रे
3. लेखा परीक्षा अधिकारी (अधिभार)
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना
के पत्रांक LNS/1380/212 दि. 18.10.07
की क्षमापत्रि

विश्वनाथ झा
कार्यालयक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर-३

REPORT TO THE REMAINING PARAS OF T.R. NO. 2/2000 OF 1979
1 to 2004-05 of Nagar Panchayat Jambhikpur Dist.

Para No.	Nature of objection	Compliance
6.	Important audit findings.	According to important audit findings actions have been taken to improve the collection of taxes and adjust the advance taken on the schemes. The compliances of paras shown in the audit report are being given in the number-wise paras. The same may be seen in this compliance report on wards paras
2. 16.	Scrutiny of collection possible time.	The realisation of heavy outstanding taxes on govt buildings, several letters from this office have been sent to govt Deptts for payment of outstanding taxes on govt buildings. In this way outstanding taxes from some govt buildings have been realised & deposited in Nagar Panchayat fund
3. 17(i)	While tracing credits Nagar Panchayat fund early.	The amount of Rs 25,677-15 which had to be recovered from Rajendra sah Tax Daroga has been deposited in Nagar Panchayat fund.
3. 17(ii)	While checking the map of the report.	The map passing fee of Rs 360=00 which was not realised by Tax Daroga through any receipts was to be realised from related persons. In this way Nagar Panchayat incurred the loss of above amount. So, Tax Daroga was warned not to pass any map without taking fee and directed to deposit the said amount.
3. 17(iii)	While checking Sabni Zamadar	The amount of Rs 1500=00 which was collected by Ram Kumar chandhori Sabai Zamadar has been deposited in Nagar Panchayat Fund.
4. 20.	The then Committee further loss of revenue	The imposition of professional tax was not enforced in this Nagar Panchayat due to short of employees. only one Tax Daroga is employed in this Nagar Panchayat for realisation of holding tax & fees from eleven wards. So, some posts of assistant & Tahsildar are essential for carrying out of professional tax. But not any post is sanctioned by govt as yet since 1979, while several letters were sent to U.D. & H.D. Deptt Bihar Patna for sanctioning the posts of Assistants.

see report to the remaining page of A.R No 2/2006-07 for the year 99 to 2004-05 of Nagar panchayat Tanaipur Road.


No	Nature of objection	Compliance
21.	In order to implement revenue as follows	The education cess & health cess realised by Nagar panchayat according to resolution passed by Commissioners was deposited in the Nagar Panchayat Fund which was to be credited in the state Fund after deducting ten percent as collection charges but due to poor financial position the same amount was deposited in the Nagar panchayat fund. The action has been taken to improve the financial position by collecting out standing taxes on Govt buildings and the said amount will be deposited in the state Fund and shown to next audit.
6. 22.	Govt of Bihar found irreparable	The amount of Rs 110,500=00 as hire charge of Tractor of Nagar panchayat which was recoverable from priya Ranjan Kumar has been realised through monthly instalment of Rs 500=00, The case is still pending for which legal action has been taken.
7. 23.	In order to stop the same by the Govt.	Seeing the dangerous pollution and the essential sanitation of road & drain in ten wards of Nagar panchayat, The Board has passed the resolution to keep daily wages workers to clean the roads & drains. only five mehtars are engaged on sanctioned posts for cleaning the roads & drains in ten wards. The posts of scavengers were not sanctioned by Govt since 1979. So, according to the resolution of Board the daily wages workers were engaged for sanitation of roads & drains. The said amount was paid to workers who worked as monthly basis fixed amount. In the sight of Nagar panchayat the expenditure done on sanitation is accepted as justified. So, the para may be treated as settled.
8. 25.	From the perusal of persons responsible.	Sometimes, It was necessary for Nagar panchayat to do unavoidable works as water accumulation on roads & drains and repairs of Tractor of Nagar panchayat. According to resolution passed by Commissioners the Nagar panchayat had to fill soil in the ditch on roads by the tractor to remove water lodging from roads. It was essential to remove the battery in the tractor of Nagar panchayat. so the said expenditure was justified at that time.

Compliance report to the remaining paras of A.R.No.2/2006-07 for the year 1998-99 to 2004-05 of Nagar Panchayat Janakpur Road.

Sl. No.	Para No.	Nature of objection	Compliance
9.	27.	The advance ledger prior to 1998-99.	<p>Govt allotment in different schemes which was allotted to Nagar Panchayat was given as advance to B.D.O. pupari for execution of schemes by the order of D.M. Sitamarhi. The schemes were carried out by B.D.O. pupari and the advance were adjusted and then final payment of the schemes was given by the B.D.O. pupari. The con concerning records of the schemes had been kept in his office for audit. The advance which was given to different agencies/stabts for execution of different schemes was adjusted in the scheme register & cash book. In this way all advance were adjusted and no advances were left for recovery which was shown to next audit. Therefore this para may be treated as settled.</p>
10.	28.	Scrutiny of cash book till clarification	<p>The amount of Rs 1,03,450 = 00 was given by D.M. Sitamarhi to Janakpur Road Nagar Panchayat to disburse among the flood victims. The above amount was disbursed among the flood affected persons by Shri Rajendra Sah Tax Daroga by taking payees receipts in the presence of Executive officer and Committee formed for the purpose. The payee's receipt was shown to next audit.</p>
11.	29.	on scrutiny of payment held under objection	<p>The amount of expenditure was done by payment voucher and the payees receipts from payees were obtained on the time of payment on the acquaintance roll and shown to next audit.</p> <p>The amount of 16,508 = 00 was bid money of pupari hel settlement which was returned by C.O. pupari to be refunded to related persons. The said amount was given to Rajendra Sah Tax Daroga to refund the bid money to related persons by obtaining payees receipts. The payee receipt of the said amount was obtained by Tax Daroga and shown to next audit.</p>

all

Compliance report to the remaining paras of A.R. No. 2/2006-07 for the year 19-18-77 to 2006-05 of Nagar Panchayat Janakpur Road.

Sl. No.	Para No.	Nature of objection	Compliance.
12.	30.	Perusal of cash book held under objection.	The amount of Rs 16,508=00 which was refunded by C.O. pupari was treated in para 29. The said amount was bid money of pupari hat settlement. The amount of security deposit was deposited by Sri Amar Nath Sah & Smt Krishna Devi. But pupari hat was not settled. So the said money was refunded to Sri Amar Nath Sah & Smt Krishna Devi by Rajendra Sah Tax Daroga. The payees receipt was obtained by Tax Daroga after payment made to related person and shown to next audit.
13.	33.	As a result of audit to the report.	According to result of audit, steps have been taken to adjust the advance and clarify the objections which were shown to audit. In this way there was not any amount left for recovery. This para may be treated as settled. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="686 1579 957 1792"> <p>slle 7/6/10 H. Clerk Nagar Panchayat Janakpur Road.</p> </div> <div data-bbox="1029 1444 1372 1736"> <p> कर्मपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, जनकपुर रोड;</p> </div> </div>

आज दिनांक 18-10-2009 को दिन रविवार को 2 बजे अपराह्न में नगर पालिका लेखा समिति की एक बैठक नगर पंचायत कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती (ज्यु) श्रीमती देवी अग्रवाल, नगर पालिका लेखा समिति के द्वारा की गई। बैठक में निम्न दस्तावेजों उपस्थित हुए

उपस्थिति :-

- ① राजकु
- ② कान्ही देवी वाई ११
- ③ रामपती देवी
- ④ सीता प्रसाद

प्रस्ताव संख्या - 1

नगर पालिका लेखा समिति के आज दि. 18.10.09 को बैठक में अके अण प्रतिवेदन सं. 2/2006-07 को उपस्थापित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक डय दि. 25.10.07 द्वारा भेजे गये अनुपासन प्रतिवेदन को देखा गया। महा लेखा कारबिबर परना के पत्रांक LA/DA/1380/22 दिनांक 18.10.07 द्वारा सेटलड किम पत्र का अकलोकन किया गया। अके अण प्रतिवेदन के अकबोध पाराओं सेटलमेन्ट हेतु कार्यालय में संबंधित अभिलेख एवं कागजात आदि देखने हेतु एक सप्ताह समय की आवश्यकता महसूस की गई। तत्पश्चात् अनुपासन प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया। अतएव आगामी बैठक हेतु दिनांक 20.10.2009 निर्धारित किया गया।

राजकु
अध्यक्ष

नगरपालिका लेखा समिति

आज दिनांक 30.10.2009 को 2.00 बजे अपराह्न में नगर पंचायत जमकपुर रोड के नगर पालिका लेखा समिति के सदस्यों की एक बैठक नगर पंचायत कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका लेखा समिति के अध्यक्ष श्री मति राज कुमारी देवी ने की। बैठक में निम्न बस्ता प्ररी उपस्थित हुए।

उपस्थित:

1. राजेश
2. जति प्रसाद
3. रामप्रीति
4. कान्ही देवी वर्डिनठ 99

नगर पालिका लेखा समिति के आज दिनांक 30.10.2009 को बैठक में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-2/2008-07 को उपस्थापित किया गया जिसका अवलोकन किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 34 दिनांक 25.10.07 द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के भेजे गये अनुपासन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। महा लेखा कार निवार पत्रा के कार्यालय पत्रांक L.A.S. No-1387/22 दिनांक 18.10.07 का भी अवलोकन किया गया जिसमें 1998-99 से 2004-05 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पारा संख्या 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 (A), 18, 19, 24, 26, 31, 32 एवं 34 को खोला किया गया है। अतः अवशेष पाराओं जिनको खोला नहीं किया गया है उन्हें अवलोकन किया गया और निवारार्थ उपस्थापित किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 1

आंके प्रण प्रतिवेदन संख्या 2/2006-07 के निर्माकित पारा 7 पर पूर्वसंगति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया।

परा 6 पर विचार किया गया। नगर पंचायत के टैक्स सूची में कृषि क्षेत्र कर निर्धारित की गई है। विभिन्न स्कीमों में निर्धारित अग्रिम को फाइनल पेमेंट में सरजस्ट किया गया है जो स्कीम रजिस्टर एवं केबल में दर्ज है।

पारा 16 पर विचार किया गया। शरकारी भतनों वक्तारी डीपी ग टैक्स की नसूची में डीपी गार्मिया से गार्मि है जिससे कुछ शरकारी भतनों के वक्तारी की नसूची हुई है।

पारा 17 (I) पर विचार किया गया। राजेन्द्र साहब दारोगा से मो 25,677=00 रुपये नगर पंचायत में जमा कराया गया है।

पारा 17 (II) पर विचार किया गया। नगर पंचायत अन्तर्गत भतन के नक्शा का शुल्क 3600 रुपये प्र नक्शा की दर से मो 3600 रुपये राजेन्द्र साहब टैक्स दारोगा द्वारा संपीकित व्यक्ति से रसीद के ठार नसूला जाना था जो नहीं नसूला गया। अतः नगर पंचायत को शुल्क के बिना नक्शा की पुरति करने से प्रति किया गया तथा 3600=00 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।

पारा 17 (III) पर विचार किया गया। नगर पंचायत के विविध रसीद से नसूली राशि 15000=00 रुपये न नगर पंचायत कोष में जमा करवा गया।

पारा-20 पर विचार किया गया। वेशाकर लागू करने पर पूर्ण समिति द्वारा निर्णय लिया गया था। परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण वेशाकर वसूली की प्रक्रिया लागू नहीं हो सका। इस नगर पंचायत में इस वर्ष-वार्डों में डोल्डींग टैक्स की वसूली केवल एक मात्र टैक्स दायरे में है। इसके लिए कुछ स्वयंसेवक एवं तहसीलदार के पद की आवश्यकता है परन्तु इस नगर पंचायत में वर्ष-वार के बाद से अन्ततः एक ही पद की स्वीकृति विभाग से नहीं दी गई है। जबकि नया कार्यलय से कई पदों की स्वीकृति देने हेतु विभाग को भेजा गया।

पारा-21 पर विचार किया गया। इस नगर पंचायत के पूर्ण समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में शिष्ट सेरा एवं स्वास्थ सेरा की वसूली की नई शर्तें नगर पंचायत कोष में जमा की गईं जो इस प्रतिशत वसूली चार्ज के अनिश्चित राशि को राज्य कोष में जमा करना था परन्तु नगर पंचायत की दायनीय आयें उन्निहित के कारण राज्य कोष में जमा नहीं किया जा सका। नगर पंचायत के डोल्डींग टैक्स जो सरकारी भवनों पर नकाश के वसूली के पश्चात् उक्त रकम का राज्य कोष में जमा किया जायेगा।

पारा-22 पर विचार किया गया। नगर पंचायत जनकपुर रोड के गैरसर के तत्कालीन नकाश का अन्ततः नवम्बर 1970 तक को मासिक किस्त में 10000 रूपये की दर से वसूली की गयी और अन्ततः शर्तों की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएने का निर्णय लिया गया।

पारा-23 पर विचार किया गया। नगर पंचायत के दस वार्डों में स्थित सड़कों/नालों में अर्धकर प्रदूषण और सफाई की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में डाल सड़कों/नालों की सफाई के लिए दैनिक काली पर मैदानों को रखने के पारित प्रस्ताव के अन्ततः पर

वैदिक मंत्रों को रखा गया था। इस
 नगर विचार में वर्ष 1979 में नगर पंचायत के
 स्वीकृत हुआ था। उसके बाद ही कोई भी पद
 स्वीकृत नहीं किया गया। अतः कवि नगरी बोर्ड के
 पारित प्रस्ताव के आसक्त में मासिक मजूदरी वेतन पर
 अनुमान देकर सुकाई कर का कटौत किया गया है। अतः
 नगर पंचायत की डुबिट को कवि नगरी राखि नगरी
 है।

पारा 25 पर विचार किया गया। नगर पंचायत के
 ठान्गित आकस्मिक कार्य जैसे सड़कों, नालों में जल
 जमान सौ ड्रेनजों की मरम्मत तथा सड़कों में बने
 गड्ढे में मिट्टी ढराई जति अपशिष्ट कार्यों को करने
 के लिये कितनालीन बोर्ड के पारित प्रस्ताव के आधार
 पर क्रिया सम्पन्न किया जाना सम्भव है। जनहित
 के लिये था।

पारा-27 पर विचार किया गया। सरकार द्वारा नगर
 पंचायत को विभिन्न योजनाओं में दी गई राशि को
 जिला पदाधिकारी, सीनियर सीनियर डी.ओ. द्वारा
 15.05.00 तक जारी की गई है। कर्मचारी के लिये
 सामाजिक योजनाओं का कर्मचारी 15.05.00 तक जारी द्वारा
 कर अग्रिम राशि को समायोजित कर अग्रिम अनुगत
 दिया गया। तदनुसार कर्मचारी को अग्रिम राशि
 15.05.00 द्वारा रखा गया। दूसरे व्यक्ति / कर्मचारी
 को दिया गया अनुगत कर्मचारी अग्रिम रजिस्ट्रार रजि. के लिये
 अनुगत के अग्रिम अनुगत में समायोजित किया गया है।
 कोई भी अग्रिम राशि समायोजन के लिये कभी हुई
 नहीं है।

पारा-28 पर विचार किया गया। जिला पदाधिकारी
 सीनियर द्वारा बाद लिये के बीच विवरण है।
 मी. 1,05,450.00 रुपये प्राप्त हुए हैं जो बाद

सीडि के तीन कार्यपालक पदाधिकारी और बाह्य
मान्यता समिति के दृष्टिकोण में श्री राजेन्द्र साह
के स्व दायोग के द्वारा प्राप्त रसीद लेकर नितरण किया
गया। प्राप्त रसीद का अकलौकन किया गया।

पारा-29 पर विचार किया गया। गृह विभाग द्वारा
निर्दिष्ट गतियों में कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार व्यय
किया गया तथा भुगतान प्रमाण पत्रों से भुगतान के संबंध ही
भाषांतर और पत्रिका रसीद होकर भुगतान किया गया।
जिसका अकलौकन किया गया जो रसीद पाया गया।
अंशतः आधिकारी पदारी उक्त प्रमाण पत्रों की जमानत
राशि मो. 16,500/- रूप में लौटाया गया। जो बाह्य
के बन्दोबस्ती के जमानतदारों की लौटाया गया। कथित
राशि संबंधित आधिकारियों को लौटने हेतु श्री राजेन्द्र
साह के द्वारा दायोग की दिया गया था। श्री राजेन्द्र
साह द्वारा प्राप्त रसीद लेकर भुगतान किया
गया।

पारा-30 पर विचार किया गया। इस पार में वर्णित तथा
पारा 29 में भी उल्लेख की गई है। कथित राशि 16,500/-
रूप में पदारी बाह्य बन्दोबस्ती के जमानतदारों की सुरक्षित
राशि की जाती। अमानतदार साहब श्रीमती कुलगा देवी
द्वारा जमानत करी गई थी। इन दोनों जमानतदारों के
श्री राजेन्द्र साह के द्वारा दायोग के द्वारा प्राप्त रसीद लेकर
भुगतान किया गया।

पारा-33 पर विचार किया गया। ऑडिट के फलफल
दिखे गये निर्देशानुसार अग्रिम राशि का समाप्त
तथा आपत्तियों का निराकरण किया गया। इस प्रकार
रिकॉर्डरी के लिए कोई रकम बाका हुआ नहीं पाया
गया।

प्रस्ताव संख्या-2

सम्बन्धित तारा क्र. में उल्लिखित आपत्ति
के कार्यालय ने उपरोक्त आदि लेखों के अनुसार
निराकरण किया गया। निर्णय लिया गया कि नगर
पालिका लेखा समिति के निर्वाहानुसार अनुपालन
प्रतिवेदन गवालेखक के तैयार परत (लेखा परीक्षा
विभाग) को भेजा जाना।

राजकु
अध्यक्ष

नगर पालिका लेखा समिति